The House then adjourned for lunch at twenty-eight minutes past twelve of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock,

The Deputy Chairman in the Chair.

PRIVATE MEMBERS RESOLUTION

Re: Development-Plans for the new States of Chhattisgarh, Jharkhand, and Uttaranchal.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up the Private Members' Business. Shri P. Prabhakar Reddy, not present. Resolution No.2, Shri S.S. Ahluwalia.

श्री एस. एस. अहलुवालिया (झारखंड) : उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से संकल्प उपस्थिति करता हूं:-

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि :-

(क) तीन नए राज्यों अर्थात् झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल को हाल ही में क्रमशः बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के राज्यों में से गठित किया गया है,

(ख) भारतीय संघ के तीन नए राज्यों के गठन की प्रक्रिया पूरी करते हुए इन सभी तीन राज्यों में राज्य सरकारों को भी गठित किया जा चुका है;

(ग) इन नए राज्यों को आदर्श राज्यों के रूप में विकसित करने की संभाव्यता है, जिनमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उन्नयन. के परिणामस्वरूप आधुनिक समय में प्राप्त लाभों का उपयोग विशेषकर राज्यों के पारदर्शी ढंग से शासन के मामले में किया जा सकता है,

(घ) इन राज्यों के अस्तित्व में आने के बावजूद, वर्तमान में इन राज्यों में विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की कमी है अर्थात् मंत्रालयों, राज्य विधान सभाओं और सचिवालयों, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों तथा राज्यों की अन्य सामाजिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं सहित पूर्ण विकसित राजधानियां,

(ड.) इन तीन नए राज्यों में आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के सृजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ही काफी मात्रा में योजनागत निधियां उपलब्ध करायी जाती हैं, और

(च) इसके साथ-साथ राजस्व आय, प्राकृतिक संसाधनों, अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के अपने बड़े हिस्से को खोने के कारण गरीब हो जाने से सम्बद्ध तीनों अवशिष्ट राज्यों को अपनी अर्थव्यवस्था की हालत खराब होने से बचाने के लिए वित्तीय पैकेज सहित विशेष सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता होगी।

यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह:

(i) नए राज्यों झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ राज्यों को सभी दृष्टि से भारत के आदर्श राज्यों के रूप में विकसित करने, विशेषत: ई-गवर्नेंस बनाने के लिए, और प्राथमिकता आधार पर नए राज्यों को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराने के लिए इन राज्यों के लिए समग्र विकास योजनाएं तैयार करे;

(ii) सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए नए राज्यों को प्रोत्साहित करे;

(iii) बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उनको हुई राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए उपयुक्त पैकेज उपलब्ध कराए और उनको अपनी अवसंरचना और अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए सक्षम बनाए।

महोदया, हमारे देश में इन राज्यों के गठन होने के पहले 25 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ थी और इन के बनने के बाद 28 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज़ रह गई। जब से हमारा देश आजाद हुआ, जनता की बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि कश्मीर से ले कर कन्या कुमारी तक और कोहिमा से ले कर कच्छ तक जहां जहां भारत माता का शरीर फैला हुआ है, हर जगह विकास और प्रगति का प्रकाश पहुंच सके। पर हमारे पूर्व पुरुषों ने भी ऐसा महसूस किया कि कहीं न कहीं कोई न कोई खामी रह गई है। आजादी तो हासिल कर ली और आजाद भारत के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बन कर अपने प्राणों की आहुति दे कर देश को स्वाधीन किया, उन ग्रामवासियों तक विकास और प्रगति का रथ नहीं पहुंच सका है और दूर दूर के क्षेत्रों में आन्दोलन उभरने लगे हैं। प्रगति का रथ इन पिछड़े इलाकों में नहीं पहुंच सका तो वे गरीब तो हैं ही पर गरीबी के साथ साथ पिछड़ेपन का रोग, अशिक्षा और उसके साथ साथ वे अपनी रोज़मर्रा की रोटी कमाने के उपाय भी नहीं जुटा पाते हैं।

महोदया, यही कारण था और लोगों का कुछ ऐसा कारण था कि अपने इलाके में उनका अपना राज हो, जिस स्वराज की कल्पना हमने की थी वह स्वराज स्थापित नहीं हो सक रहा था, उनकी भावनाओं को ठेस लग रही थी। उनकी संस्कृति, सभ्यता और वहां के आचार, व्यवहार पर उनको लगता था कि जैसे कि अपना कुछ नहीं है और इसलिए यह मांग किए जा रहे थे।

अंतत: 1966 में महोदया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन पहली बार बनाया गया। मोरारजी देसाई उसके चेयरमैन थे। उनकी अध्यक्षता के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बैठा। सारे भारत का दौरा करके ए.आर.सी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। जो गलतियां, जो कमियां हमारी शासन प्रणाली में हैं, जो कमियां हमारी व्यवस्था मे हैं उन चीजो को उन्होंने उद्धृत किया। पर ये सारी चीजें पड़ी हुई थीं। इन पर विचार नहीं हो रहा

था। आंदोलन चल रहे थे। छत्तीसगढ़ के हमारे आदिवासी भाई बहिन सड़कों पर उतरकर कई प्रदेशों से आंदोलनरत थे। हमारे उत्तरांचल के पहाड़ीवासी, भाई बहिन, दिल्ली तक आए। कई बार तो उन्हें राज्य के बीच में से गुजरते हुए पुलिस का आक्रोश सहना पड़ा। कई तकलीफें सहनी पड़ीं और अपने राज्य का जो सपना था यह सपना पूरा होते हुए नजर नहीं आता था। उसी तरह से झारखंड का आंदोलन कई दशकों पुराना है। झारखंड के लिए मांग शुरू से चली आ रही थी पर कोई मसीहा, कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई ऐसा नजर नहीं आता था। पर आज हमें गौरव है कि हमने इस सदन से एक तरफ झारखंड राज्य बनाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपना वादा, जो जनता के सामने रखा था, उसको पूरा किया। उसमें सहयोग सारी पार्टियों का मिला। सारी पार्टियों ने सहयोग करके लोक सभा में और राज्य सभा में इस विधेयक को पास किया। महोदया, उसी के तहत 1 नवम्बर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापित हो गया। वहां गवर्नर और मुख्य मंत्री स्थापित हो गए। मंत्रिमंडल बन गया। उसी तरह से 9 नवम्बर को उत्तरांचल राज्य स्थापित हो गया। वहां भी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल बन गया। 15 नवम्बर को झारखंड, जिस राज्य से मैं आता हूं, वहां का भी राज्याभिषेक हो गया और वहां भी....

उपसभापति : आप झारखंडी हो गए। अब आप पंजाबी नहीं रहे।

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार) : ला से झारखंड में चले गए।

उपसभापति : ऐसे भी हमारे यहां तो अंग्रेजी में कहते हैं डाटर-इन-ला। मतलब वह बेटी नहीं होती है, कानून की बेटी होती है।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वैसे तो मैं सन-इन-ला बंगाल का हूं। एमपी-इन-ला हो गया झारखंड का। पर मैंने झारखंड पर बहस करते वक्त बताया भी था कि मेरा सौभाग्य इस करके है कि मैंने तो पाणिग्रहण अर्थात शादी जो की थी वह झारखंड के इलाके में जमशेदपुर में जा करके की थी। इसलिए वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान भी है। इसलिए मैंने वह ग्रहण भी किया और एमपी-इन-ला बनने में मुझे कोई दुख नहीं है, गौरव है, गर्व है।

महोदया, 15 नवम्बर को झारखंड का भी मंत्रिमंडल बन गया। राज्यपाल नियुक्त हो गए। पर बात यहां आती है महोदया, कि क्या हम इन राज्यों को इनका गठन करके इसी तरह छोड़ दें? हमारे सामने अपने 50 साल का इतिहास है। जब से हमारे यहां गणतांत्रिक पद्धत्ति शुरू हुई, जो कमजोरियां हमने देखीं जैसे न्यायालय चले जाएं तो आपको महसूस होता है कि अम्बार लगा हुआ है। और न्याय के लिए दरवाजा खटकाते-खटकाते न्याय पाने वाला थक जाता है, हार जाता है, विश्वास उठ जाता है । महोदया, क्या हम इन राज्यों को, जो कल भी इसी देश के हिस्सा ही थे, पर जब एक नई पद्धति शुरू कर रहे हैं, नया घर बसाया है, नया राज्य बनाया है, तो क्यो नही हम इसी राष्ट्र का सब से मॉडर्न व मॉडल स्टेट बनाएं और यह संभव है । इस नई सहस्त्राब्दी मे हम तरह-तरह की बातें सोच रहे हैं। कभी हम सोचते हैं कि हम ई-गवर्नेंस की बात करेंगे। जब ई-

गवर्नेंस की बात करते हैं तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दीज़ थ्री स्टेट्स, इन तीनों राज्यों से शुरू करें। महोदया, ऐसी बात नहीं है, इसमें दो राज्य ऐसे हैं जहां पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भी अपनी समर कैपिटल बनाई हुई थी। एक झारखंड में रांची है और उत्तरांचल में नैनीताल है। वहां इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध था। किंतु पिछले पचास वर्षों में उसका दुरुपयोग हुआ और उसको हमने ठीक से संभाल कर या सुचारू अवस्था में नहीं रखा, इसलिए वे चरमरा गए हैं। उस ढांचे को मजबूत करने की जरूरत है । उस ढांचे को मजबूत करने के लिए दूरदर्शिता चाहिए, धनराशि चाहिए, एक टॉर्गेट, एक निशान, एक लक्ष्य चाहिए और यही कारण है कि मैं सदन के सामने अपने प्राइवेट मैंबर्ज़ रेजोल्यूशन के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । हमारे संविधान में प्रावधान है, संविधान की धारा 275 और 282 को अगर हम पढ़े तो राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था है। महोदया, मैं ऐसा देखना नहीं चाहता कि जब पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा बना या हिमाचल बना, आज भी उसकी राजधानी को लेकर एक तनाव बना हुआ है। क्योंकि जब इन राज्यों को बनाया गया तो उस वक्त इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान नहीं देने का ही कारण है कि आज भी लोग कहते हैं कि चण्डीगढ़ किसकी राजधानी है। राज्य तो बन गए, परन्तु राजसत्ता के गलियारे एक ही मोहल्ले में रख दिए गए तो आपस में द्वेष की भावना जगती रही। महोदया, जब हमने इन तीन राज्यों का गठन किया है तो ये सिर्फ कुछ राजनीतिक दलों का या कुछ राजनीतिक नेताओं की इच्छापूर्ति के लिए नहीं किया गया, यह वहां की लाखों जनता जो है, उनको राष्ट्र की प्रगति का प्रकाश मिल सके, इसलिए किया गया है। उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया है। जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया है तो जब तक हम उनको पहले से ही आत्म-निर्भर नहीं बनायेंगे, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम उनको स्पेशल डिवेलपमेंट फंड नहीं देंगे तो हम शायद अपनी मंशा अर्थात् राष्ट्र की जो मंशा है कि राज्य आत्म-निर्भर हो जाएं या राज्य में जो कमियां थीं जिन कारणों के कारण आंदोलन हुए थे वे समाप्त हों, हम उनको पूरा न कर सकेंगे।

महोदया, वहां के लोगों का सपना है कि जो न्याय का दरवाजा खटखटाए, उसे तुरंत न्याय मिले, जो ग्रीवेंस लेकर किसी दफ्तर में पहुंचे तो उस का तुरंत रिड्रेसल हो, वहां स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और शिक्षा संबंधी सारी सुविधाएं उपलब्ध हों।

महोदया, हमने मेन लाइन पर तो नेशनल हाइवे बना दिए, पर उन पिछड़े इलाकों को मेन लाइन से जोड़ने के लिए कहीं-कहीं रास्ते भी नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने विलेज कनेक्टिविटी की एक नई पॉलिसी डिक्लेअर की है जिस के माध्यम से उन क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा ताकि वहां के लोग बाहर जा सकें और बाहर के लोग वहां आ सकें और प्रगति का प्रकाश उन तक पहुंच सके व विकास हो सके।

महोदया, जब देश आजाद हुआ था तो हर भारतवासी के मन में यह इच्छा थी कि शायद ब्रिटिश साम्राज्यवाद चला जाएगा तो हमारे घर में कोई बेकार नहीं होगा, पर हम ने देखा कि विकास की गति को दबंग और भारी-भरकम लीडर्स ने अपने-अपने इलाकों में, अपने-अपने क्षेत्रों में ही संकुचित कर के रख दिया। जो विकास काश्मीर से कन्या कुमारी और कच्छ से कोहिमा तक एक समान होना चाहिए था, वह नहीं हो सका। तभी से इस तरह के विद्रोह की भावनाएं, इस तरह की आवाजें उठने लगीं, क्षेत्रीयतावाद की बातें उठने लगीं और अलग राज्य की मांगें उठने लगीं। महोदया, आज जब उन का सपना शुरू हुआ है, अगर हम उन्हें आत्म-निर्भर नहीं बनाएंगे, हम उन्हें सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तो फिर उन के मन में असंतोष बना रहेगा। मेरा तो कहना है कि हम उन्हें मॉडर्न और मॉडल स्टेट बनाकर दें। आज इनफॉर्मेशन टैक्नॉलोजी से गवर्नैंस बहुत फास्ट बन सकती है। महोदया, आज भी गांव के बड़े बुजुर्ग कभी-कभी कहते हैं कि वही टाइम अच्छा था जब कलेक्टर के यहां कम्प्लेंट देते थे तो घर आते-आते कोई-न-कोई कार्यवाही के लिए पहुंच जाता था। आज तो कम्युनिकेशन का जमाना है और किसी दफ्तर में कम्प्लेंट लिखायी जाए तो उस का रिड्रेसल तुरंत हो सकता है व चाहे दिल्ली से भी परमीशन लेनी हो, वह कम्प्यूटर के माध्यम से ली जा सकती है। जब हम इस टैक्नॉलोजी को एडॉप्ट करने जा रहे हैं तो उस का सदुपयोग करें तभी हम इन राज्यों को विकसित कर सकेंगे और आगे बढ़ा सकेंगे।

महोदया, मैंने इस संकल्प को सदन के सामने रखने के साथ ही अपने थोड़े से विचार रखे हैं। महोदया, इस के पीछे कोई राजनीतिक मंशा नहीं है, यह राष्ट्र के हित की मंशा है और उस मंशा को समझाने की मैं ने कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस चर्चा में हिस्सा लेकर माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे और अंतत: हम सरकार के सामने अपनी बात रखने में सफल हो सकेंगे। धन्यवाद।

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Virumbi, are you in the same form as you were yesterday?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): In the opposite direction, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Are you depressed today? I have seen you participating in the discussions. You are a very hard-working MP. But, those who saw you yesterday would say that you were excellent.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Thank you, Madam Deputy Chairperson. I express my opinion regarding the Private Member's Resolution, moved by my learned friend, Shri S.S. Ahluwalia, regarding the development of three States, carved out recently. The reasons attributed in this resolution have now been explained by my friend in a very elaborate

manner, I can say. He further exlpained that in his conicuding speech also. Madam, first of all, the British people, according to their own convenience, had set up provinces for administrative purposes. After that, the Congress Party itself --it was a mass organisation before Independence -- passed a resolution accepting the principle of linguistic States. Based on that, even though some States were not carved out, before Independence, the Congress Committees were named after those linguistic areas. This was the situation before 1947. After independence, when people demanded the implementation the Resolution passed by the Congress party, they constituted a Committee to probe into the matter, and subsequently some States were carved out on linguistic basis. Madam, take for example, Tamil Nadu. Previously, it was Madras province. Its border was up to Orissa. The Ganzam district of Orissa was also a part and parcel of Madras province, before 1947. If my memory is correct, Shri. A.P. Patro, a person who was actually hailing from Orissa, was a Minister in Tamil Nadu, that is, in the Madras Province. So, this gentleman who belonged to Orissa was a Minister in Madras. Actually, he was the person who worked day and night for the oppressed and the suppressed who suffered for centuries together. Madam, after these new States were carved out, some more demands were raised. Even during 1955 also, the Jharkhand issue was raised. After partition, as per the Central Government's policy, the people who came from Pakistan were to settle in the area, which now comprises Uttranchal. And the people who were having a cultural distinction from Madhya Pradesh, had already called their region Chhattisgarh. Madam, if you go through Jharkhand issue and other things, you will find that the issue of a separate State for Jharkhand was raised even before 1955. But the States Reorganisation Commission refused to carve it out. When the States Reorganisation Commission refused to do so, they exerted pressure on this matter all through 60's, 70's and 80's. Then, in 1989, the Hon. Home Minister convened a meeting in which the Chief Minister of Bihar was also present. In the meeting, they arrived at a conclusion and I would like to quote the important portion of that. I have culled it out from the Jharkhand Committee Report. The Report of the Committee on Jharkhand matters was published in May, 1990. I am quoting from that: "It was reiterated that the Government desired that the tribal areas and tribal people should develop without hindrance to their cultural growth --that is very important -- and for that purpose, a solution to the problem should be found within the constitutional frame." I am telling you this because, before that, they thought that due to economic

3.00 PM

exploitation, they were demanding a separate State. For that purpose, in 1971, I think, some development plan was framed. Under that development plan, a high-powered Chhota Nagpur and Santhal Paraganas Development Authority was constituted in 1971. In 1974-75 the tribal sub-plan concept was actually carved out.

When they were not satisfied with that, the Integrated Tribal Development Projects were also started. Even though all these authorities and institutions were established for the economic development of these areas, they were not satisfied. Madam, it is not that they were not satisfied on the economic issues, they thought that their culture should be safeguarded. That is why they wanted to have a separate State. Therefore, according to this report, the main reason for the coming up of Jharkhand State was that they wanted to develop their culture without hindrance. We hope their culture will be kept intact, and that it will be further developed. Madam, when I say all these things, I want to make it very clear that I am not in full agreement with Shri S. S. Ahluwalia, but I differ a little bit with him. I want to put the record straight. Madam, he has actually demanded that all these States should be converted into model States in India. I totally agree with him as far as the development of these States is concerned. The help that has to be rendered by the Central Government should be expedited. As far as these things are concerned, I stand by Shri Ahluwaliaji. But, Madam, at the same time, if we accept the concept that these States should become model States, then the people in other States, in other areas, will also demand the same thing. If a separate State is carved out from the existing State, which you want to develop as a model State, then several requisitions of the type of Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal may also come from other States.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Virumbiji, that was not my intention. Through this, I do not want to provoke the people who are agitating in other regions also. I am not giving them any allurement. What I am saying is that since Independence we have developed our country, we have built up our country, but we have noted that there are certain loopholes and there are certain lacunae in our administrative system. So, when these three new States have come up let us make them model States by removing the lacunae and the deficiencies of the administrative system which we are now facing in our system, and which we do not want to transfer to these new States. We do not want to send that virus to those areas.

THE DEPUTY CHAIRMAN: There is another thought behind his thinking. Why were these States created? It is because the States were too big, and the complaint was that these areas were being neglected, and they were under-developed inspite of all the resources. You take Jharkhand, Uttaranchal and Chhattisgarh which have got all the resources. So, the reason of their becoming separate States was not that they wanted to separate from their brothers. The reason of their becoming separate States was that, perhaps, their development will improve by this, and that is why Mr. Ahluwalia is thinking in that way. They were backward States, and that is why they came out. Now, with their becoming new States, they will become forward States. Your State is already a forward State, Mr. Virumbi.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: No, no; I am not talking about my State. I am talking about the pan-India approach. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: The basic idea behind their creation was that they were backward.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: It is a pan-India approach, Madam. I did not say it with the motive with which he has interpreted it. What I say, Madam, is that suppose, if this concept is accepted, it will induce some people in other States to raise such demands, and it could be taken as an incentive for that. As far as package schemes are concerned, we have already accepted it. We have already accepted the package for the North-East. There should be a package scheme to see that the people who have actually suffered for long, for decades together, must also come at par with the people of other developed States. I totally agree with that. There should be no deviation on this account. If we accept it and develop these new States as model States, then it will create differences among the States. I do not want to hide what I feel, in case I feel anything inappropriate. This was the first thing that I wanted to bring to your notice. Another thing which I want to say, Madam, is this. These States were carved out not only because of economic reasons; Uttaranchal, Chhattisgarh, Jharkhand were carved out not only for economic reasons, they were carved out because they felt that they belonged to some distinct parts, that they had some sort of culture which they wanted to keep with them. We cannot blame them for that. They want to keep their own culture intact. Madam, within the framework of the Constitution of India, we must accept it.

When they go out of the framework, then, it becomes unconstitutional. If anybody wants to save their language, their culture within the frame-work of the Constitution, we accept it. As a policy, we must

accept it. In Bihar, what is the problem? Bihar is a fertile State. The Ganga river flows through that State. But they have the water logging problem. Due to this, agricultural production has affected. After the Jharkhand State has been carved out of Bihar, now it is going to starve for money. They will not have any income. The Mover of the Resolution, Mr. Ahluwalia, has categorically stated in his Resolution, "..also the three respective residual States having become poorer due to their losing major share of revenue income, natural resources, infrastructure assets, shall be needed to provide special support with financial package in order to save their economy from collapsing;" What I feel is that the Central Government may appoint a committee to go into these issues for the development of these States. What is the real problem in respect of the three new States, Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal? The Government should bring out a white paper in respect of each State. They should cull out information about the existing infrastructural facilities; and the facilities that have to be created. Unless and until the infrastructural facilities are created, those who want to invest in these three States may hesitate to do so. Unless these three States are developed industrially, it will be very difficult for them to join the mainstream of our Indian polity. Therefore, what I feel is, first, we have to cull out information about the basic facilities. They have to set up High Courts. When the Chief Minister of a newly-formed State was elected, a problem arose as to who will administer the oath to the new Chief Minister. Therefore, there are no basic facilities, transport facilities and power generation. These basic facilities are required for these people. Unless these basic facilities are created, it will be very difficult for the businessmen to invest their money in these States, or, for any foreign country to come and invest. First, these States should develop infrastructural facilities. Only then can they compete with other States. I do not know whether any poem has been written in Mythili language or in any other language in Bihar. But in my language, Tamil, there is a poem. It describes about a king; and how he built a house under the Ganga river in Bihar.

SHRI S.S. AHLUWALIA: Just recite that poem in Tamil.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please translate that into English.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I will explain. The king had kept all his wealth in a room, in his house which was built under the Ganga river. This poem was written about 2,100 years ago. It was written that a king who ruled in some parts of Bihar was a rich person. He had taken his

wealth and put it in a room which was built under the Ganga river. This was written in Tamil. Now, we are talking about the information technology; and about hi-tech things. But at that time no information technology existed, yet, they could get information regarding room build beneath the river. The poet says how the king ruled in Bihar. There was some sort of culture. In those days, there was no facility to supply electricity below the river. Still, they were able to construct the house. What I am trying to say is that Bihar was culturally a rich State. After the carving out of Jharkhand, they have lost mineral resources. They will not get any income.

THE DEPUTY CHAIRMAN: After all, our ancient university, the Nalanda was there. Gautam Buddha came from there. It is culturally a rich State.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: People should think so. The former Prime Minister of Canada, Mr. Pearson, while delivering a lecture in a university, some 25 years ago said, "Democracy should be kept strong, not only militarily, economically, but also intellectually and morally." The same thing was said by a Tamil poet some 2000 years ago which means that, you have elephants. You have horses. You have the Army. Whatever you have, in spite of it, you should keep your morale high.

your name will not be after your death; if you want to keep your name even after death, you have to see that the moral is prevailing in the state. In the same way, what the Canadians thought in this Century, our own forefathers thought, twenty Centuries ago. We have such a rich heritage. We have cultural heritage. But, at the same time, economically, we are indebted to others; economically, we owe to others. I feel that along with culture, economic development should take place; for economic development, infrastructure facilities should be there; for infrastructure facilities, the carved out States cannot themselves do it. Even the Eleventh Finance Commission has failed to fulfil the aspirations of the people living in India. I will deal with it in detail when the Eleventh Finance Commission discussion takes place. I do not want to go into it now. What I feel is, the Central Government should take the three States as babies that have to be nursed. They should be taken care of in such a way that they are developed at part with the other States in India.

With these words, Madam, I conclude. Thank you very much.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When you mentioned your poetry, I remember it says that the development of a country is not measured by

how many factories or roads or institutions it has. It is quality of the mind behind it which is most important. This was said on the 28th of April by the first Minister for Education, Maulana Azad, when he wrote to the Constituent Assembly for the grant of his ministry. And, up-till now, we have not really got so much money for education to create that quality of mind which is most important. And he mentioned Nalanda and Taxila Universities in his letter.

Now, Shri Nagendra Nath Oza.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपसभापति महोदया, सर्वप्रथम मैं श्री अहलुवालिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किया है जिस पर हम विचार कर रहे हैं और मैं इनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री अनन्तराय देवशंकर दवे)** पीठासीन हुए]

जो नए राज्य बने हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और जो अवशिष्ट राज्य हैं, उनकी जो वित्तीय हानि हुई है उनकी भरपाई के लिए जो केन्द्र सरकर से आग्रह किया है उससे संबंधित प्रस्ताव का मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूँ। यह सही है कि जो नये राज्य बने हैं, उनके भी विकास का प्रश्न है। मैं बिहार से आता हूँ और झारखंड के कई ऐसे गांवों को जानता हूँ जहाँ आज भी ऐसे परिवार हैं जिस परिवार के सभी सदस्य मिलकर पेड़ से पत्ता तोड़ते हैं और दिनभर पत्तल बनाते हैं और उनको बेचकर वे 20 या 30 रुपये पाते हैं। इस तरह से वे उसी पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। झारखंड क्षेत्र के गांवों में अनेकों ऐसे परिवार हैं जो कि कुल मिलाकर 20 या 30 रुपये की कमाई करते हैं और उस पैसे से महुआ खरीदकर लाते हैं और उसे खाते हैं। यह हम सभी जानते हैं कि झारखंड राज्य बनाने का आंदोलन मूलतः उन्हीं परिवारों, आदिवासियों का था जो आज भी महुआ पर अपनी जिंदगी गुजर-बसर कर रहे हैं। अगर उनका विकास नहीं हुआ, उनको केन्द्र सरकार से प्रोत्साहन नहीं मिला, जो नई राज्य सरकार वहाँ पर बनी है उसने कुछ नहीं किया तो वहाँ पर आगे अन्य कई तरह के सामाजिक प्रश्न उठेंगे और कुछ पहले से उठे हुए हैं, जिनका सामना राज्य बनने के साथ वहाँ की सरकर ने करना शुरू कर दिया है। इस संबंध में केन्द्र सरकार भी अवश्य चिंतित होगी। जो अवशिष्ट बिहार बच गया है उसके लिए भरपाई करने का प्रश्न है। केन्द्र सरकार ने भी अब तक इसको स्वीकार कर लिया होगा जिस पर बिहार के सभी सांसदों ने मिलकर विचार किया है, उसमें चाहे बीजेपी के सांसद हों, दूसरे किसी दल के हों, लेफ्ट फ्रंट के हों जो भी दल लोक सभा और राज्य सभा में वहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सभी के सांसदों ने मिलकर इस बारे में विचार किया है कि अवशिष्ट बिहार के लिए क्या किया जा सकता है। इस संबंध में एक मेमोरेंडम, स्मरण-पत्र भी तैयार करके प्रधान मंत्री जी को सौंपा है।

सभी सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उसके आधार पर वह तैयार किया और उसे मानने के लिए और उस आधार पर अवशिष्ट बिहार को सहायता के लिए आग्रह

किया है। बिहार जो बचा है, उसके लिए पैकेज की बात इसमें की गई है। शुरू में यह प्रश्न इसी हाऊस में उठा था जिसमें कहा गया था कि पैकेज न देकर प्रोजेक्टवाईज़ वित्तीय सहायता दी जाए। उस पर भी वहां के सांसदों को कोई ऐतराज़ नहीं हुआ और प्रोजेक्टवाईज़ क्या-क्या करना है बिहार के लिए, उस पर गौर किया गया और पैकेज नहीं, प्रोजेक्ट के आधार पर केन्द्र सरकार से सहायता की मांग की गई है। मेरा आग्रह है इस पर बोलते हुए कि उसको स्वीकार किया जाए और उसके आधार पर विचार किया जाए।

महोदय, जब नए राज्य का गठन हो रहा था, उस समय बिहार के मामले में यह कहा गया था कि प्लानिंग कमीशन के अंदर भी एक सेल या टीम का गठन किया गया है जो निश्चय ही इस मसले पर विचार करेगी। मेरा आग्रह है कि वह टीम या सेल तुरंत ही किसी कनक्लूज़न पर पहुंचे।

महोदय, अवशिष्ट बिहार की समस्या कई क्षेत्रों में गिनाई गई है और उसके संबंध में प्रोजेक्ट दिए गए हैं । जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित जो प्रोजेक्ट्स हैं, वे दो-तीन तरह के हैं। एक है बाढ़ से बचाने के लिए और सबसे अधिक प्रधानता इस बात को दी गई है कि केन्द्र सरकार नेपाल सरकार के साथ बातचीत करके उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, उसके लिए अगर कोई योजना लागू करती है जो बिना नेपाल से बात किए संभव नहीं है तो बिहार के सभी सांसदों ने प्रधान मंत्री जी के सामने अपनी राय व्यक्त की कि नेपाल सरकार से बातचीत करके बाढ़ नियंत्रण के लिए अगर प्रोजेक्ट लागू हो जाता है तो बिहार की आधी समस्या हल हो जाएगी । उसे बाढ़ से परमानेंट निजात, स्थाई निदान मिल जाएगा और इस पर बिहार के सांसदों ने ज़ोर दिया है और इसकी पहल तो केन्द्र सरकार हीं कर सकती है और यह केन्द्र सरकार को ही करना है। इसलिए तत्काल केन्द्र सरकार को इस प्रश्न को अपने हाथ में लेना चाहिए।

महोदय, इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित जो मसला है, वह यह है कि बिहार की लाखों एकड़ भूमि जल जमाव से बाधित रहती है जिससे खेती नहीं हो सकती। ऐसी जमीनों की जल जमाव की समस्या का हल निकाल कर उनको खेती के लायक बनाना है। इसी के साथ विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी सोचना है क्योंकि बिहार को बिजली नहीं मिल पाएगी। इसी तरह से कृषि शिक्षा से संबंधित जो संस्थान हैं, उनकी स्थापना का प्रश्न, स्वास्थ्य से संबंधित भी मांग बिहार के सांसदों ने की है कि बिहार का इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान जो है, उसको "एम्स" के स्तर के अस्पताल के रूप में बदला जाए और हमारी जानकारी में यह आया है कि इसके लिए यहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहल भी शुरू की है और इसी तरह से और भी जो टेक्नीकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो अभी झारखंड क्षेत्र में आ गए हैं, उनकी भी भरपाई की जाए।

महोदय, सड़कों के बारे में पहले से राष्ट्रीय राजपथ के लिए प्रस्तावित जो स्कीमें हैं, उनकी तरफ भी हम लोगों ने इंगित किया है तथा कुछ नए राष्ट्रीय राजपथों के लिए भी

सुझाव दिया है। उसके लिए जो वित्तीय सहायता चाहिए, वह सहायता बिहार को दी जानी चाहिए और इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए। इस तरह से हर सेक्टर के गिनाने में ज्यादा समय चला जाएगा, इसलिए मैं सेक्टरवाईज़ बात नहीं करना चाहता लेकिन मैं सूचित करना चाहता हूं ताकि आपका ध्यान ज्यादा मज़बूती से उधर जाए। अभी बिहार के अंदर मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो या अंगिका हो, झारखंड के बाद क्या स्थिति होने वाली है, इन बोलियों में ऐसे लोकगीत बन गए हैं और वे जीपों में, बसों में या रेल में बजाए जा रहे हैं, जैसे कि एक कैसेट में एक पति अपनी पत्नी से कह रहा है- "अब तू खाइहो कन्द, बन गईल झारखंड।" यह कैसेट धड़ल्ले से वहां बजाया जा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आम जनता के बीच में एक निराशा की भावना फैल रही है और लोग निराशा से ग्रसित हो रहे हैं कि जो अवशिष्ट बिहार है, शायद उसको कन्दमूल पर ही निर्भर रहना पड़े और हम समझते हैं कि यह काफी दुखद स्थिति होगी । इसलिए केन्द्र सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह तुरंत ऐसा कुछ करके दिखाए कि लोगों में यह निराशा न छाए ।

अवशिष्ट बिहार के पास जो संसाधन हैं, लोग मजबूती के साथ उनका पूर्ण रूप से दोहन करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, आगे उनको संकट न हो और वे तेजी से अपना विकास करें। इस मामले में ज्यादा हील-हवाले या सोचने की जरूरत नहीं है। पहले यह करके एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि बिहार पर जो केन्द्र का कर्ज है वह उसको माफ करे और इस बारे में एलान करे। इसी से अवशिष्ट बिहार की जनता को यह जाहिर होगा कि केन्द्र उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यह काम करके केन्द्र सरकार एक अच्छा संकेत दे सकती है। अंत में, मैं अहलुवालिया जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे और सदन इसको पारित करे।

SHRI FALI. S. NARIMAN (Nominated): I thank you, Mr. Vice-Chairman, for permitting me to speak. I support this Resolution for two reasons. In the first place, Sir, I like the idealism that inspires it, and also the right balance that is struck between the needs of the new born State and the corresponding needs of the respective parent State.

Sir, let me deal, very briefly, with each of these two points. I believe that the key words in this Resolution are "developing them as model States of India". This requires some inspiration, some sense of idealism, but, after 50 years, I regret to say, we find a declining curve, not only in politics but also in every field of activity that we have all indulged in. It is a regrettable thing that has happened in our country, that we do not have that inspirational idealism that inspired our founding fathers in framing a Constitution which, I believe, , can work, should work and will work for many, many years, whether with changes or without changes, and which will always preserve the integrity and sovereignty of India.

Now why are new States carved out? There is a Constitutional provision, we need not amend the Constitution for it; it does so provide, we have passed it by law, we have created three new States. They are created out of three existing States. Merely creating new States, and leaving it at that, does not solve any problem, but, in fact, it creates more problems. Therefore, I look upon this Resolution as an adjunct to the law which created the new State. Without the infrastructure, without development, the aspirations of the people who wanted the creation of these new States will be totally blighted and I personally believe, Sir, that creating new States and small States, where necessary, is a good thing. But if the new States are not given the wherewithal not only to survive but also to prosper, and prosper well, we will have achieved very little. But the idea behind this Resolution, and which I support, is that, after a long period of time, let us do something whereby we can show everybody that the three new States that have been created would serve as models. Models for what? Models for good governance.

The palpable lack of good governance in all walks of life, I believe, is at the heart of all the frustrations and problems in the country today. Good governance, I believe, is determined by enlightenment and a spirit of idealism. Therefore, this spirit of idealism, which inspires this particular Resolution, I strongly support.

The second part of the Resolution, namely, balancing of the needs of the new States which are to be created as model States and not neglecting the corresponding needs of the respective parent States, set out very clearly in para (f) of the Resolution, namely, providing special support with financial package in order to save their economy from collapsing. Now, when you create States, what do you do with them? The Constitution contains two provisions, in articles 275 and 282, you provide them with funds. That is what the articles say. Parliament has to make a law to provide funds. I earnestly request the hon. Ministers and the Government that we should not merely create a new State like a new-born baby and leave it to come up on its own. The Centre has a responsibility to see that the new-born States are not only given the wherewithal to survive but also given the wherewithal, as the Resolution envisages, to become model States. But a word of warning and, perhaps, my learned friend, Mr. Ahluwalia, can help here. Creating more homogeneous States does help in maintaining the homogeneity amongst the people as also in fulfilling their aspirations. But I earnestly request the representatives of the people from

these areas not to neglect them and politicise issues. Otherwise, they will not be the model States that we are expecting them to be, but just three new humdrum States. Thank you.

SHRI B. J. PANDA (Orissa) : Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving this opportunity to support this Resolution. The creation of these three new States was a historic development. I say so, not because the Sates have not been created in the past or may not be created in future, but because it gave us an opportunity, as a country, to showcase the workings of our democracy for the whole world. In this part of the world, where we live, this is no mean achievement. Not looking at the past, but looking forward, this is also a historic opportunity to redefine governance, as it has been practised in our 50 odd years of independence, an opportunity to meet our peoples' aspirations of creating model States which may pave the way for an all-round development of the country. The objective of creation of these States, apart from the idealism that Mr. Nariman has just talked about, is to take the Government closer to the people.

It has been predicated on our experience of large States' administration being unwieldy. It has been predicated on our experiences of people's aspirations not being met. But the answer is not just to create smaller States, but to create better administered States. Otherwise, Sir, we could be facing not idealism but tragedy if we end up with having badly administered poor States. It would be a far worse situation than before. Where would that process end? We cannot keep on chopping up our States or other administrative units, if it does not achieve any purpose. We have heard about the need for funds and infrastructure. In the past few weeks, we have read in the media about the terrible lack of both. For instance, we have read of officials of these new States being literally on streets because their housing has not yet been provided for, paper work and files being in godowns because the offices have not yet been provided for. In such an environment the joyous celebrations and the idealism that we have been a witness to could fast deteriorate into such basic issues as even law and order. If infrastructure is not in place, what to speak of any industrial development, what to speak of Governmental efficiency, the possibility exists that unless we move fast, these States will be faced with far more red-tapism and far slower process of Government dealing with people's needs than before. The need for funding and the need for concrete plans are both important and urgent; otherwise, not only will we have failed in achieving the objective of taking the Government closer to the people, we will in fact have achieved exactly the opposite. The result would

be counter-productive. As I said before, this is a historic opportunity. That is more so because we are getting a chance to start with a clean slate. This is an important issue because both at the national level and at the level of various States we have already seen and experienced the difficulty of restructuring the existing systems. In my State, we have seen the restructuring of the power sector. The State Electricity Board has been broken up into distribution company, generation company and an independent regulatory authority. We have seen a great deal of birth pangs in giving rise to this new restructured set-up. But here we have an opportunity in these new States in the power sector to start with a clean slate, to start on the basis of new policies that have been put in place as a result of economic liberalisation over the past decade. This is not limited to the power sector alone. This can be applied across the entire spectrum of the States. For instance, take the case of education. Here is a golden opportunity for these States to start with a higher allocation than we have been able to demonstrate in the rest of the country in the last 50 years, higher allocation to primary and secondary education and better allocation for primary health care. There is need for better use of funds. We have seen the misuse; we have seen the poor utilisation of Government's efforts at providing funding for industrial growth almost across all the States. Here is a chance to bring in models that have worked in South Asia very spectacularly, for example, based on the Grameen Bank system in Bangladesh, to bring in micro credit facilities rather than to keep funding the white elephants which would not necessarily have a future.

Sir, in conclusion, I would also like to thank Shri Ahluwalia for proposing this Resolution which does not have any political motive; but it has tremendous scope for our country and its future. And what we do in these coming months will define how well our democracy will be worth showcasing in the next 50 years. Thank you.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी (उत्तरांचल) : धन्यवाद, उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री एस.एस. अहलुवालिया जी द्वारा उपस्थित संकल्प पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। श्री अहलुवालिया जी ने अपने संकल्प में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप उन राज्यों को हुई हानि या निर्मित होने वाले राज्यों के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था के पुनर्निमार्ण के लिए इस संकल्प को उपस्थित किया है, इसके लिए मैं श्री अहलुवालिया जी को धन्यवाद देता हूं।

महोदय, सबसे पहले मैं बिहार का उल्लेख करना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से बिहार का जो क्षेत्र बचा है और वहां की जैसी आर्थिक संरचना है उसमें बिहार के पक्ष में

काफी कमी आई है। ऐसा सभी लोग अनुभव करते हैं और उसका कोई न कोई उपचार केन्द्र की सरकार को करना चाहिए। जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है सामाजिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ और झारखंड लगभग एक ही स्थिति जैसे नये राज्य हो सकते हैं। किंतु मध्य प्रदेश को वैसी कठिनाई दृष्टि में नहीं आती है जैसी बिहार के लिए है। फिर भी कुछ खास चीजें हों तो उन पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मेरा संबंध नवसृजित उत्तरांचल प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश, जिसे हम प्राचीन आर्यावर्त का प्रतीक कह सकते हैं और सरदार पटेल की अपेक्षाओं के अनुरूप एक छोटे भारत के रूप में जिसे हम जानते हैं, उससे हमारा एक छोटा सा क्षेत्र, जो उसके कुल क्षेत्रफल 2 लाख 91 हजार वर्ग किलोमीटर से अलग होकर लगभग 53 हजार से थोड़ा ज्यादा वर्ग किलोमीटर का बना है, यहां परिस्थितियां बिल्कुल अलग प्रकार की हैं क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है यह मध्य हिमालय का क्षेत्र है और जैसी कठिनाइयां सम्पूर्ण हिमालय के क्षेत्र में हैं और लम्बे समय से इन हिमालयी क्षेत्रों का विभिन्न प्रकार सें शोषण भी कहा जा सकता है, हुआ है, उस शोषण के कारण से और वहां जीवन के लिए साधनों के अभाव के कारण जो तेजी से पलायन हुआ है, महोदय उससे भी ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं कि जिन पर पूरे देश का ध्यान जाना चाहिए। पूरे देश को इन पर विचार करना चाहिए। कई बातें तो ऐसी हैं जिनको केंद्र सरकार की दृष्टि में तो लाना ही है, पूरे देश को भी उसमें योगदान करने की आवश्यकता है। उत्तरांचल प्रदेश की आबादी उसके पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की तुलना में साढ़े चार प्रतिशत है। 1991 के आंकड़ों के अनुसार हरिद्वार को मिला कर यह 70.50 लाख अर्थात् साढ़े 70 लाख की बनती है और उत्तर प्रदेश की आज जो आबादी है वह लगभग 20 करोड़ होने को है। आबादी की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी भी उत्तर प्रदेश की विशेष स्थिति बनी हुई है। लेकिन वहां का जो आर्थिक ढांचा है, जैसे हमने बिहार के बारे में कहा कि झारखंड के बन जाने से बिहार पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ा है, हमारे उत्तरांचल के बन जाने से उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बल्कि कई मामलों में तो हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती राज्य द्वारा कुछ मामलों में जो उदारता बरतनी चाहिए थी शायद उसमें कहीं संकोच हुआ है। उस संकोच के कारण, क्योंकि प्रस्ताव विधान सभा से आना था और उसके कारण केन्द्र सरकार की भी कुछ विवशताएं होंगी। एक्ट में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिससे वहां के लोगों को काफी कठिनाई तो है और उसके आर्थिक स्रोतों पर भी एक प्रकार से उत्तर प्रदेश का अधिकार हो गया है। पुनर्गठन विधेयक की धारा 79 के भाग 3 बी में यह उल्लेख है कि तीन जो बड़ी बिजली की परियोजनाएं हैं, टिहरी है, श्रीनगर है और विष्णु प्रयाग है, उन पर पूर्ववर्ती राज्य का ही एक प्रकार से अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से जब हिमाचल से हम तुलना करते हैं तो हमारे जो जल संसाधन हैं, क्योंकि हमारे पास एक ही संसाधन है, जल है, वन है या जन है, तो जन तो हमारा पलायन कर रहा है, वन को आप काट नहीं सकते हैं और जल पर हमारा अधिकार नहीं है, जबकि हिमाचल का पूरी तरह से अधिकार बना हुआ है। हमारे लिए गंगा विकास बोर्ड जैसा एक बोर्ड बनाने की कल्पना है। मेरा कहना यह है कि केन्द्र सरकार को चाहिए कि उन विवशताओं में जो उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव आने

की विवशताए थी उसके कारण जो ये प्रावधान किए गए हैं तो इन पर पुनर्विचार करना चाहिए और एक्ट की धारा 79 के 3बी का लोप कर देना चाहिए और यह जो गंगा बोर्ड बनने वाला है इस गंगा बोर्ड की जो परिधि है, वह जहां पहाड़ और मैदान का संधि स्थल है, मिलन स्थल है, उस स्थल के बाद जो जल का विभाजन होना है या जो जल का उपयोग होना है उसके लिए ही इसका उपयोग करना चाहिए और पहाड़ के भीतर भी चाहे वह पीने का पानी हो और चाहे वह बिजली बनाने की योजनाएं हों, उसके लिए उत्तरांचल को अधिकार देना चाहिए ।

महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक्ट मे एक और व्यवस्था कर दी गई है कि राज्य की जो परियोजनाएं थीं उन पर हमारा अधिकार तो हो गया है किंतु जब तक हम अपना बिजली बोर्ड नहीं बनाते हैं तब तक उन पर उत्तर प्रदेश का ही अधिकार रहेगा। इस प्रकार से हमारे पास अर्थ का कोई साधन नहीं है। परिणाम यह हो गया है कि पहली छमाही में हमारा घाटा 900 करोड़ रुपये का है और आने वाले वर्ष का घाटा दो हजार करोड़ रुपये का होगा । इसलिए बाकी प्रांतों के स्थान पर हमारी स्थिति सब से कठिन है। इससे भी कठिन स्थिति क्या बनती है कि हमारे यहां शिक्षा का काफी प्रसार है। लगभग 12 सौ इंटर कॉलेज हैं, 36 डिग्री कॉलेज हैं, दो यूनिवर्सिटियां थी, अब रूड़की और पंतनगर को मिला कर चार हो जायेंगी। इसलिए शिक्षा का काफी प्रसार है। लेकिन स्थिति क्या बन गई है कि हमारे यहां पहले से पर्वतीय सवर्ग लागू था, मैं कहना चाहता हूं कि राज हठ के कारण और राजनीतिक स्वार्थों के कारण और जो जातीयै समीकरण थे उसके कारण हमारे यहां पर्वतीय संवर्ग में मैदानी मूल के, मैदानी भाग से आए हुए लगभग डेढ़ हजार कर्मचारियों ने पर्वतीय संवर्ग को अपना लिया है, आज सारे के सारे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन विधिक कठिनाइयों के कारण वे वापस नहीं जा पा रहे हैं। और हमारे यहां 18 हजार पद रिक्त हैं। महोदय, आप समझ सकते है कि जो नौकरी-पेशा समाज हो जिस ने केवल नौकरी को अपना पेशा बना लिया हो, अगर वहां की शिक्षा व्यवस्था चरमराती है तो आज के विकास और टैक्नॉलोजी के युग मे, आज के आई.टी. युग में उस समाज का क्या चित्र बनने वाला है। इसलिए हमारी स्थिति सब से कठिन है और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां जो लोग थोड़ा-बहुत आलू पैदा करते हैं, सेब पैदा करते हैं, उन्हें अपने सब्जी, फल को शहरी क्षेत्र में पहुंचाने तक बड़ी कठिनाई होती है। महोदय, अहलुवालिया जी ने सड़कों का जिक्र किया था, हमारे यहां आलू जो कि बहुत पैदा होता है, वह 30-30 किलोमीटर तक आज भी खच्चरों से आता है। महोदय, सड़कों की हालत बहुत खराब है और वहां सड़कों पर जो व्यय होता है वह मैदानी क्षेत्र की तुलना में लगभग दोगुना है। अगर यहां 5 लाख में एक किलोमीटर सड़क तैयार होती है तो वहां 10 लाख मे एक किलोमीटर सड़क कटती है और उस पर 8 लाख मे डामर पड़ता है। इस तरह वह एक किलोमीटर सड़क 18 लाख की पड़ती है। इसलिए अगर हमारे पास साधन नहीं होंगे तो वहां राज्य के नाम पर जो लोगों की कल्पना थी कि उन्हें रोजगार प्राप्त होगा, उस के रास्ते बंद रहेंगे। उन्हें अभी लगता है कि उन का विकास होगा, पर उस के रास्ते भी बंद रहेंगे। ऐसे में यह पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इस पर दृष्टि रखे

और नए राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर प्रदान करे । अगर एक बार पांच वर्ष तक भी इस राज्य को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया गया तो यह राज्य भारत का सब से उदीयमान राज्य होगा क्योंकि आज भी संपूर्ण भारत में कहीं उत्तम-से-उत्तम मानव, विश्वसनीय मानव, श्रमशील और योग्यतम मानव कहीं है तो वह वहां है। इसलिए मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार इसे महत्व दे और वहां जो एक्ट के कारण समस्याएं आई हैं, उन के निदान के लिए प्राथमिकता देकर विचार करे।

महोदय, हिमालय के लगभग सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और आप सभी लोग जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण उन को 90 प्रतिशत अनुदान मिलता है, 10 प्रतिशत ऋण मिलता है और बाकी को 70 प्रतिशत अनुदान व 30 प्रतिशत ऋण मिलता है। आप काश्मीर को छोड़ दें, हिमाचल के बाद मेघालय तक के राज्य विशेष श्रेणी के राज्य में आते हैं। केन्द्र सरकार को चाहिए कि अविलम्ब इस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करे ताकि इसकी कुछ समस्याएं हल हो सकें।

महोदय, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के साथ रहने से हमारे हिस्से में धन आया है, हमारे हिस्से में 78 हजार करोड़ का साढ़े 4 परसेंट अर्थात् 4 हजार करोड़ के आसपास कर्ज आया है जिस का हम को 500 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ेगा। इस कठिनाई को देखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि हमारे ऋण का जो भाग है, कम-से-कम उसे तो वह माफ करे ताकि हम कमजोरी से ही अपने पैरों पर चलने का प्रयास कर सकें।

महोदय, हमारे प्रदेश का 80 प्रतिशत भाग वन-भूमि है, लेकिन वह बंजर भूमि है, केवल 12 प्रतिशत भूमि पर ही खेती होती है। मैं आप के माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि आज पर्यावरण के नाम पर चाहे वह विश्व बैंक हो, चाहे दूसरी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हों, वह एक विशेष प्रकार का अनुदान देती हैं। केन्द्र सरकार को वह विशेष प्रकार का अनुदान देने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि बाकी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 प्रतिशत वन बचा है और जनसंख्या का बोझ अधिक है। हमारे यहां लोग अभाव में, बेबसी या अपनी आवश्यकता की दृष्टि से वनों के विनाश में लग जाएंगे तो सारी हरितमा पर्यावरण की सुरक्षा जिसे हिमालय की सुरक्षा भी कह सकते हैं, वह खतरे में पड़ जाएगी। महोदय, हिमालय की सुरक्षा का अर्थ है भारत के जीवन की सुरक्षा क्योंकि अगर वन नहीं होंगे तो मिट्टी बहेगी, मिट्टी के बहने से नदियों में गाज आ जाएगी और पूरी धरती में वह पानी फैल जाएगा जिस के कारण विनाश आ सकता है। इसलिए भारत सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वह पर्यावरण के नाम पर हम को एक विशेष प्रकार का पैकेज दे। अच्छा हो, जैसे कि हमारे समाज की वृत्ति है, स्वभाव है उस के हिसाब से हर जिले में पर्यावरण वाहिनी के गठन का प्रयास किया जाए ताकि हम उस के आधार पर वहां जो लंबी बेरोजगारों की फौज है, उन को उस कार्य में लगाया जा सके जिस से हमें दोहरा लाभ मिलेगा । एक तो हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, दूसरे पर्यावरण जोकि सारे संसार के सामने एक चुनौती है, उसे भी हम ठीक कर सकेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी आग्रह

करना चाहूंगा कि भारत सरकार पर्यावरण के नाम पर विश्व बैंक आदि संस्थाओं से हमारे लिए बड़ी राशि उपलब्ध करने का प्रयास करे क्योंकि संसार में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व बैंक आदि संस्थाएं पैसा देती हैं।

ये सारी चीजें हैं इन नए राज्यों के प्रकरण में - जहां राज्यों की स्थिति खराब थी इसलिए नए राज्य बने हैं, उनका विचार करना, जहां बने हुए राज्यों से जो ये राज्य अलग हुए हैं, उन पर इसका क्या कुप्रभाव पड़ा है, उनका विचार करना। ये सारे सामंजस्यपूर्ण विचार करने का जो अवसर अहलुवालिया जी के इस संकल्प से मिला है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपने जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए आपका भी धन्यवाद देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री रामचन्द्रैया रुमन्दला (आन्ध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, अहलुवालिया जी जो यह संकल्प लाए हैं, सबसे पहले मैं इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, जब कभी भी राज्यों का विषय आता है तो स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की हमें याद आती है। सरदार पटेल ने 1947 से 1956 तक भारत के अनेक छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर, एक करके इसे एक स्वर्णिम भारत, आदर्श भारत, उन्नत भारत बनाने का स्वप्न देखा था। लेकिन 50 साल के बाद जब हम पीछे पलटकर देखते हैं तो भारत के कुछ निहित स्वार्थी तत्वों ने केवल अपनी व अपने राज्यों की उन्नति करने की इच्छा प्रकट की इसलिए गांव वालों की और अन्य राज्यों की जो उन्नति होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई। महोदय, आज उन्नत टैक्नोलॉजी के कारण, टेलीविजन के कारण, हाई टैक टी.वी. के कारण और ग्लोबलाइजेशन के कारण सारा संसार एक छोटा सा गांव हो गया है।

आज जब हमारी भारत सरकार ने उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये नए राज्य बनाए हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि घरों में अक्सर जिस प्रकार से छोटे बच्चों पर माता-पिता बहुत ध्यान देते हैं, उन्हें अधिक प्रेम करते हैं और रक्षा करते हैं, उसी तरह से आज भारत सरकार को भी इन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा रकम देकर, अपनी स्कीमें देकर वहां की जनता की रक्षा के लिए कुछ प्रावधान करने होंगे। जब बिल क्लिंटन आंध्र प्रदेश आए थे तो एक टेली-कांफ्रेंस में उन्होंने उस छोटे से गांव से अमेरिका में बात की थी । तो मेरा कहना है कि आज के इस वैज्ञानिक युग में हमें छोटा-बड़ा, नया-पुराना नहीं सोचना चाहिए, बल्कि वहां के राज्यों को उन्नति के रास्ते पर कैसे लाया जा सकता है, वहां कैसे नई-नई स्कीमें लाई जा सकती हैं, यह सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि यह कार्य भारत सरकार राज्य सरकारों पर न छोड़े, यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह नई-नई स्कीमें बनाकर उन राज्यों को दे और उनकी उन्नति के लिए काम करे। महोदय, 1994 में आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जब मुख्य मंत्री का पदभार संभाला था तो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भी वहां संकट था, उन्होंने पैसा न होते हुए भी श्रमदान के रूप में जनता से भागीदारी करके कुछ काम किए। उसके बाद जन्मभूमि के नाम से हर गांव में काम कराया। उसके बाद परिपालन को जनता तक ले जाने के लिए

जिले के और राज्य के अधिकारियों को महीने में 15 दिन गांव में जाने के लिए कहा। वे गांव में जाकर गांव की समस्याओं को लाकर 10 दिन में उनकी सुविधा के लिए काम करें, ऐसा उन्होंने कराया है। उसी तरह हर जगह भारत सरकार ऐसा एक कार्यक्रम दे कि जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हैं वे आज केवल कार्यालयों में बैठकर, हस्ताक्षर करके अपनी तनख्वाह 30 दिनों में ले रहे हैं, जितना काम करना है गांव वालों के लिए, गांव के गरीबों के लिए, हथकरघा के लिए, किसानों के लिए, जंगलों में रहकर जो काम करते हैं, उनके लिए सरकारी कर्मचारी काम करें। उदाहरण के लिए जो नए राज्य बने हैं- छत्तीसगढ़ हो, उत्तरांचल हो या झारखंड हो, वहां की जनता के लिए नए-नए कार्यालय बनाने या नए-नए अधिकारियों को रखने की बजाए भारत सरकार वहां की जनता तक नई-नई स्कीमें पहुंचाए, जनता की भागीदारी से कार्यक्रम बनाए, जनता की भागीदार से काम करे तो वे राज्य अच्छे बन पाएंगे। आज वहां न सड़कें हैं, न ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा है, न बसें हैं, न टेलीफोन की सुविधा है, न टेलीविजन है। अगर इस नए जमाने में वहां ये सुविधाएं नहीं होंगी, तो वहां उन्नति नहीं हो सकेगी। इसलिए उन प्रांतों के नन्हे-मुन्ने बच्चों के भविष्य को खराब न करते हुए उनकी शिक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए, उनके लिए पाठशालाएं खोलने और भवन बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए और वहां अच्छे शिक्षकों को रखना चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दूसरे राज्यों को कम रकम देकर, इन तीन राज्यों को अधिक से अधिक रकम देनी चाहिए और उनकी सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रयास करना चाहिए । दूसरे राज्यों में जो नए-नए काम हो रहे हैं, उन्हीं की तरह इन तीन राज्यों में भी हमें उन कामों के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए।

महोदय, समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है, एस.सी./एस.टी. के लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, इन लोगों को भी उन्नति के रास्ते पर लाने के लिए भारत सरकार इन तीन राज्यों में जितनी भी रकम दे, वह कम है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन तीन राज्यों की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए अहलुवालिया जी की जो कल्पना है, उनकी जो भावना है, उसको साकार करने के लिए सरकार को कुछ ठोस कार्यक्रम लेकर आगे आना चाहिए। धन्यवाद।

श्री विजय सिंह यादव (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे माननीय सदस्य अहलुवालिया जी जो संकल्प लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। महोदय, इन तीनों राज्यों को मॉडल स्टेट बनाने का संकल्प अहलुवालिया जी लाए हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। महोदय, उनका ससुराल जमशेदपुर में है लेकिन वे कहां से आए हैं, इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया । घर में भाई को भुला दिया और ससुराल में घरजमाई बन गए ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मेरा सुसराल बंगाल में है, जमशेदपुर में नहीं।

4.00 PM

श्री विजय सिंह यादव : बिहार की जनता के लिए जो एक करोड़, बहत्तर लाख रुपए के पैकेज की मांग की जा रही है, उसका इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। महोदय, बिहार में बाढ़ है, सुखाड़ है, बालू है, उसकी ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिलाया। आज बिहार में बाढ़ से लाखों हैक्टेयर जमीन प्रभावित है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि नेपाल से बातचीत करके इस राज्य को बचाने का काम करे। सुखाड़ की ओर भी केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए। पहले बिहार के पास जो भी विकास योजनाएं, धन-संपत्ति, रिसोर्सेज थे, वे आज झारखंड मे हैं।

शेष बिहार में तो सिर्फ बाढ़, सुखाड़ और बालू और नालंदा के आलू यही बचे हैं। तो सारी सम्पदा कोयला, अभ्रक, तांबा, लोहा जितने हैं झारखंड मे पड़े हुए हैं, सारे उद्योग झारखंड में हैं। जितनी योजनाएं-परियोजनाएं हैं झारखंड में चल रही हैं। बिजली की जितनी योजनाएं-परियोजनाएं हैं वे सब झारखंड में है। बिहार सरकार पर जो कर्जा है उसके बारे में केन्द्र सरकार से आग्रह है कि बंटवारा हो तो कर्जे का भी भाई के बीच में बंटवारा होना चाहिए, लेकिन कर्जे का बंटवारा नहीं किया गया। अत: बिहार सरकार का कर्जा वापिस होना चाहिए। तो मैं सदन तथा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से आग्रह करुंगा कि वह कर्ज माफ करे। जितना कर्ज है उसका ब्याज कहां से शेष बिहार सरकार दे सकेगी? साथ ही साथ मैं सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करुंगा कि शेष बिहार के सारे सांसद चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सी.पी.आई. हो, सी.पी.एम. हो, राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में एक हैं। मैं अपने बिहार की मुख्य मंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विकास के लिए शेष बिहार के सारे सांसदों को बुलाकर एक बैठक की। इस बैठक में विकास पर विचार हुआ तथा योजनाएं तैयार हुई। सारे सांसदो को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने दल से ऊपर उठकर के एक भावना विकास के लिए संकल्प लिया और माननीय प्रधान मंत्री के पास जाकर अपना विचार रखा, अपना प्रस्ताव दिया गया, तथा उनसे अनुरोध भी किया गया। लेकिन प्रधान मंत्री जी की तरफ से अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से आग्रह करुंगा कि शेष बिहार में कुछ बचा नहीं है, इससे सारा सदन अवगत है। इसलिए जो पैकेज एक लाख बहात्तर हजार करोड़ का है, मैं अहलुवालिया साहब से आग्रह करुंगा कि आप सरकार में हैं तथा शेष बिहार से अवगत हैं, वह आपका घर है, आपका वहां सारा परिवार है, वहां से आप चुनकर आए हैं इसलिए इस पर थोड़ा तरस खाएं, सरकार पर दबाव लाएं ताकि शेष बिहार की गरीब जनता को राहत मिल सके। सिर्फ यहां सदन में भाषण देकर के हमें शांति नहीं होगी, इससे हमें जनता माफ नही करेगी जो हमने राज्य बंटवाने का काम किया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करुंगा कि अहलुवालिया साहब फिर से इस बारे में सरकार पर दबाव बढ़ाएं और शेष बिहार पर विशेष ध्यान दें। छत्तीसगढ़, उत्तरांचल सभी राज्य समृद्ध बनें, मॉडल स्टेट बनें। इसके लिए मैं अहलुवालिया साहब को धन्यवाद व्यक्त करता हूं और उपसभाध्यक्ष महोदय का भी मैं आभार प्रगट करता हूं। धन्यवाद।

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला (झारखंड) : धन्यवाद माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प पर बोलने का आपने मुझे अवसर प्रदान किया। माननीय सदस्य अहलुवालिया जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत किया है जिससे हम इस विषय पर अपनी चिंता को व्यक्त कर सकें ताकि सरकार के सामने हमारे नवगठित शिशु राज्यों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।

महोदय, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आज की सदन की कार्रवाई के एक बिन्दु पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगला संकल्प माननीय श्री कर्णेन्दु भट्टाचार्य जी जो कि कांग्रेस में हैं उनकी तरफ से उपस्थित किया गया है। 'इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि स्वतंत्रता के पचास वर्षों के बाद भी चौथा स्थान प्राप्त हुआ पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं, जिनमें जनजातीय और पिछड़े लोगों की जनसंख्या काफी है, को राष्ट्रीय विकास और वृद्धि का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और इनमें सड़क, बिजली, रेल, संचार आदि जैसी संरचनात्मक सुविधाओं का नितांत अभाव है, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक विशेष विकास बोर्ड का गठन करे ताकि इसे मुख्य धारा का एक अभिन्न अंग समझा जा सके।'

महोदय, इन राज्यों का निर्माण हुए 10 से 15 साल हो गए और स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वें वर्ष में हम लोग आज जी रहे हैं। अहलुवालिया जी का प्रस्ताव इसलिए भी सामयिक है कि कहीं ऐसा न हो कि आज से पचास वर्षों के बाद बैठने वाली किसी संसद में इसी तरीके का कोई प्रस्ताव झारखंड, उत्तराचंल और छत्तीसगढ़ के संबंध में आए।

महोदय, विकास क्यों नहीं होता, क्यों लोग अलग होना चाहते हैं, क्यों अलग होने की आवश्यकता पड़ती है और क्यों लोग अलग राज्यों का निर्माण चाहते हैं? इस समस्या की तरफ, इसके व्यवहारिक पक्ष की तरफ, इसकी वास्तविकता की तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे स्वर्गीय राजीव गांधी जब वह प्रधान मंत्री थे, एक बात उनकी कही हुई बार-बार याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब केन्द्र से हम लोग एक रुपया राज्यों के पास भेजते हैं तो राज्य तक पहुंचते-पहुंचते वह केवल 19 पैसे रह जाता है, रुपया घिसते-घिसते छोटा हो जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस समस्या का निदान हो चुका है? क्या सचमुच में आज भी जो संसाधन राज्यों को भेजे जाते हैं वे पूरी तरह से वहां पर पहुंचते हैं और यदि पहुंचते हैं तो लोगों के विकास पर खर्च होते हैं?

महोदय, चिंता का विषय यह है कि जिस नये राज्य झारखंड का निर्माण हुआ है, वहां पर बहुत बड़े-बड़े उद्योग हैं, कोयले का उद्योग है। मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं। मैं परसों धनबाद में था, वहां पर सड़कों पर छह घंटे तक जाम था, क्यों जाम था सड़कों पर, इतनी बड़ी आबादी धनबाद क्षेत्र की है, सारे भारत को कोयला, धातु शोधक कोयला वहां से मिलता है। वहां पर अपूर्व कोयले का भंडार है। हम लोग संसार में प्रतिस्पर्धा कर

सकते हैं, परन्तु आज पचास वर्षों के बाद भी वहां के लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं है क्योंकि वहां पानी के बारे में पिछले 30 वर्षों से आंदोलन चल रहा है, आज तक वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। दूसरे उद्योगों की अवस्था मैं आपको बताता हूं। बोकारो स्टील प्लांट, BIADA के 90 प्रतिशत उद्योग रूग्ण हैं, बंद हैं, धनबाद में जितने भी उद्योग हैं, इकाइयां हैं वे बंद हो रही हैं। ऐसा क्यों हुआ है? महोदय, अब हमारी सीमाएं केवल राज्य और देश तक नहीं हैं, हमारी सीमाएं संसार तक फैली हुई हैं। हमें संसार में प्रतिस्पर्धा करनी है और संसार की जो विकास की गति है उसके साथ हमें कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। इसके लिए दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञा, ईमानदारी और राजनीति से ऊपर उठकर अपने क्षेत्र का विकास करना होगा। यदि हर वस्तु में हम लोग राजनीति करते रहेंगे और विकास के कामों में भी राजनीति करते रहेंगे तो कभी भी देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा।

अफसोस की बात यह है कि सरकारें बदलती रहती हैं परन्तु देश की जो मूल समस्या है वह बढ़ती हुई आबादी है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। महोदय, मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो हरा-भरा प्रदेश है, लोग बहुत गरीब थे परन्तु बहुत सुखी और शांत थे लेकिन आज वहां पर उग्रवाद पनप रहा है, विकराल रूप से उग्रवाद पनप रहा है, 18 जिलों में से अधिकांश जिलों में उग्रवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए हमारे झारखंड क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या उग्रवाद से निपटना है। यदि वहां का पूर्णरूप से विकास नहीं हुआ तो उग्रवाद एक विकराल समस्या का रूप धारण कर सकता है। उग्रवाद से निपटने के लिए जितने पैसों की जरूरत पड़ेगी उससे बहुत कम पैसों में हम लोग उस क्षेत्र का समुचित विकास कर सकते हैं, सभी को आधारभूत सुविधा जैसे- पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करें तो यह जो उग्रवाद की समस्या है इस पर काबू पाया जा सकता है।

महोदय, जितनी भी योजनाएं हैं, आप बिजली को ले लें, सब जानते हैं वहां बिजली की उत्पादन दर क्या है। 100 मेगावॉट में केवल 29 फीसदी बिजली पैदा होती है। ऐसा क्यों हुआ? बुरी तरह से शोषण हुआ हर क्षेत्र का। लोग आए यहां पर इस क्षेत्र का विकास करने के लिए नहीं, शोषण करने के लिए। सरकार यदि जल्द से जल्द संसाधन उपलब्ध कराए तो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सुशील हैं, बहुत शांत हैं और अपने क्षेत्र के बहुत संतोषी लोग हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि संथाल, मांझी और मुंडा लोग जो हैं यहां के, यदि हंडिया में चावल रहेगा तो वे काम पर नहीं जाएंगे। मैं कोयला खदान में काम करने वालों की बात बताता हूं। वे छः दिन काम करने के बदले तीन दिन काम करते हैं क्योंकि यदि घर में खाने के लिए है तो आराम से घर में बैठेंगे। उसका नतीजा क्या हुआ कि जब वे ऐब्सेंट करने लगे बिना छुट्टी के, क्योंकि पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ कि आज उग्रवाद की समस्या खड़ी हो गई। इसलिए यदि इस क्षेत्र का समुचित विकास करना है तो केवल राज्य के गठन से समस्या का समाधान नहीं होगा। जैसा अहलुवालिया जी और अन्य

माननीय सदस्यों ने कहा कि इस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए ईमानदारी से प्रतिबद्ध होकर हमे मिल-जुल कर कंधे से कंधा मिलाकर विकास करना होगा तभी भारत के एक ऐसे मॉडल राज्य का दृश्य प्रस्तुत कर सकते हैं जिसके आधार पर भारत का विकास हो। महोदय, मैं सरकार से जल्द से जल्द संसाधन उपलब्ध कराने की प्रार्थना करते हुए, अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me an opportunity to express my views regarding the resolution moved by Shri S.S. Ahluwaliaji. This relates to the three new States which have recently been formed. This also deals with a special financial assistance to these new States and the remaining part of the bifurcated States. Here, we have to seriously discuss about the present financial position of the different States in our country. We are forming new States and asking packages for both parts of these States. What is the financial position of the existing States in our country? The industrially-developed State of Maharashtra is facing an acute financial problem. Again, agriculturally-developed State of Punjab is also facing acute financial problem. Then, the most populous State in our country, Uttar Pradesh, is also facing financial problem. So, most of the States are not even able to give pension to their retired Government employees. There are no sufficient funds to strengthen the agriculture base. So, the financial problem is very much there in all the States. Even then, we are asking for new and new States and new and new packages. Actually, the reconstitution of States on linguistic basis, in 1956, was an urgent need because that was against the legacy of the British regime. They divided the States according to the interests of the British people. So, naturally, there was a movement among the people to divide the States on the basis of language. So, the States were reorganised on a linguistic basis. There was a common tradition, legacy, culture, etc. Why is there backwardness in the States? What is the reason? The reason is the general financial backwardness of our country. That is the main reason for the backwardness of our different regions.

Secondly, it is the uneven growth. We have invested more money into it. The uneven growth has also contributed towards the backwardness of some regions, whether it is industry or agriculture. So, the backwardness itself is a by-product of the policies of the successive Governments. Then how will this problem of backwardness be solved.? What is the solution? Can we solve this problem by dividing the States time and again? What happens after the formation of these three new States? I think, now, it is the turn of Maharashtra. It was reported from

Maharashtra that two days ago there was a hot debate regarding new Vidarbhha in the Maharashtra Assembly. A similar move is being made by Jammu and Kashmir. An attempt is being made to divide it on communal lines - Buddhists, Hindus and Muslims. You are dividing it on the basis of resources. If this is the situation, where will be the end? Now the process has started. A Pandora's box has been opened. The situation is bad. What would the other countries think about us? Now, take Yugoslavia. What was the main reason for the international squabbles and other things? The main reason was, they wanted to divide the country according to the resources. Then the separatism came. You put more resources in some States and less in others. There are resources in many States. Then there will be a move for separatism. Croatia was segregated from Yugoslavia. What was the reason? It was minerals. So you are dividing the country according to minerals, according to industry, according to agriculture. Then, where would be the end? That also would lead to disintegration. So, while thinking about the reorganisation of States or packages, we must have to accept one reality that almost all parts of this country are still backward. How will this problem be solved? Is forming new States the only panacea? We must have to think about strengthening the existing system. For backward areas, a Special Autonomous Council should be formed. You will have to think about the development. There are some backward sections. You should think about some special programme for them. You should think about the uplift of that section. That spirit should be there. We must have to think about the existing Centre-State relationship. The report of the Sarkaria Commission is before the Central Government. Have we strengthened the State Governments by allotting more resources to them? Are we planning to have a new system of sharing the financial resources between the Centre and the States? The reports of successive Finance Commissions are also there. Did the Central Government come forward to implement the suggestions of the Sarkaria Commission? What are we doing? Right from the commencement of the Constitution, there has been a trend to take more powers from the States. The Centre is accusing the States. The Centre itself is acquiring more powers. We are not strengthening the States by not giving more financial powers to the States. And what is the approach of this Government? This Government also did not give more financial powers to the States. The Report of the Eleventh Finance Commission met with opposition from almost all the State Governments of our country. So, we must think about giving more financial powers to the States.Without discussing that matter you are

giving some package to some State and some package to the other State. What will be the result? Would it help us in strengthening the integrity of the nation? Then, we have a system of Panchayati Raj institutions. It also requires to be strengthened. You should give more financial powers to the States. The States, in turn, should give more financial powers to the Panchayati Raj institutions. While solving the problem of backwardness, we must think about strengthening these institutions. Right from the PRIs, you should give more financial powers to the village-level institutions. You should also strengthen the Gram Sabhas. We have to find out from where we can give more and more money. This kind of approach is required. Instead of creating new States, new packages, our approach should be to strengthen the Panchayati Raj institutions. Give them more financial powers. Give more financial powers to the States. Strengthen the States as well as the Centre. That will lead to the integrity of the nation. That will help strengthen the unity of our country.

Instead of that, we are thinking in a different direction that will be very much damaging to this nation. Anyway, I am congratulating Shri Ahluwalia for this Resolution. But while discussing this Resolution, we must think about strengthening the other institutions, instead of forming new States. This is the only way to solve this problem. Sir, creating new States and giving them more packages would not be the only way to solve the problem of backwardness. This will create more problems. But instead of that, we have to think about autonomous councils and giving more financial powers to the States as well as to the Panchayati Raj institutions. Thank you, Sir.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री अहलुवालिया जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। जिन तीन राज्यों का गठन किया गया है वे सभी हर दृष्टि से पिछड़े राज्य हैं। यदि भारत सरकार ने उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई तो यह स्पष्ट है कि स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। उदाहरणस्वरूप उत्तरांचल की बात ही ले लीजिए। वहां न सड़कें हैं, न रहने के लिए पर्याप्त मकान हैं। इतना ही नहीं वहां देहरादून तक तो रेलगाड़ी जाती है लेकिन उसके बाद का क्षेत्र रेल से जुड़ा हुआ नहीं है। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए जो आधारभूत सुविधाएं चाहिए वे आज उत्तरांचल में उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि यह हिमालय के खनिज पदार्थों और प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है लेकिन इस प्राकृतिक संपदा का दोहन कैसे हो, इसके लिए जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए वे उस राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। उत्तरांचल की अपनी ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने लिए साधारण सुविधाएं भी जुटा सके। उत्तरांचल की कुछ सप्ताहों में ही जो स्थिति बन गई है उससे तो ऐसा लगता है कि

यह राज्य बिल्कुल बैंकक्रप्ट है। वेतन देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, भत्तों के लिए पर्याप्त धन नहीं है, स्कूलों का अभाव है, अस्पतालों का अभाव है, विश्वविद्यालय का अभाव है, शिक्षा की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पीने के लिए पानी भी हर जगह उपलब्ध नहीं है। पीने के लिए पानी लाने के लिए उत्तरांचल की महिलाओं को कई-कई मील, कई-कई किलोमीटर तक चलना पड़ता है। ऐसा राज्य जहां पीने के लिए पानी की सुविधा भी पर्याप्त न हो, जहां के शहर शहर न होकर शहर के नाम पर धब्बे हों, जहां टेलीकम्युनिकेशन की सुविधाएं भी पर्याप्त न हों वहां कैसे लगेंगे उद्योग? कैसे होगा वहां की जन समस्याओं का निदान? स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है । राज्य तो बन गया पर वह एक आदर्श राज्य के रूप मे विकसित हो यह इस राष्ट्र का दायित्व है । केंद्र अगर इस मामले में पीछे हटेगा तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। केंद्र को अपने पैर पीछे नहीं घसीटने चाहिए। उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बात को जानता हूं कि केंद्र के पास आर्थिक संसाधनों की भारी कमी है, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूं कि जहां आवश्यकता पड़ती है वहां किसी न किसी प्रकार से हमारे वित्त मंत्री आर्थिक संसाधन जुटा ही लेते है। उदाहरणस्वरूप अभी जब पंजाब में आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने भारी मात्रा में धनराशि दी, कश्मीर को भी दी। कश्मीर में तो अब तक हजारों, करोड़ों रुपये खर्च किए जा चुके हैं फिर भी वहां अभी तक विकास कार्य नहीं हुआ है। जितना कश्मीर में विकास के नाम पर खर्च किया गया है अगर उसका एक चौथाई भी उत्तरांचल को दे दिया जाए तो यह एक आदर्श राज्य के रूप में सामने आएगा। यह है उत्तरांचल की समस्या। उत्तरांचल की जनता ने अपना विकास करने के लिए भारी बलिदान दिया है। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया, मैं उस गाथा को दोहराना नहीं चाहता हूं। दुख इस बात का है कि राज्य तो बन गया लेकिन राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिये, उस व्यवस्था के प्रति अभी तक चारों ओर से एक मौन है, एक सन्नाटा है। एक ऐसा सन्नाटा जो खेदजनक है। एक ऐसा सन्नाटा लगभग ऐसा लगता है कि शमशान का सन्नाटा हो । इस सन्नाटे को, खामोशी को तोड़ना होगा और उन्हें तोड़ना चाहिये जिनके पास इसको तोड़ने की सामर्थ्य है। आखिर वह क्या दे रहे हैं किस राज्य को विकास के नाम पर?

अब छत्तीसगढ़ की बात को ले लीजिये। छत्तीसगढ़ की स्थिति तो और भी अधिक दुर्दशाग्रस्त है । इतनी प्राकृतिक संपदा, अगाध प्राकृतिक संपदा, वन संपदा है लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, उसमें और मध्य प्रदेश में आपस में विवाद प्रारम्भ हो गया है। अब इस विवाद को कौन निपटाए? दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। लेकिन आर्थिक विकास का सामर्थ उत्पन्न करने के नाम पर जो कुछ वहां हो रहा है, वह सारे राष्ट्र के लिए चिंता की बात है। हमें इस पर सोचना होगा। मात्र छत्तीसगढ़ बना देने से छत्तीसगढ़ की जनता की जो आकांक्षाएं हैं, वह पूरी होने वाली नहीं हैं। वहां जो जनजातियां हैं, बनवासी रहने हैं, क्या वे इस आधुनिक भारत में उसी दशा में बने रहेंगे अभी अनेक दशाब्दियों तक जिसको ले कर के उन्होंने अपने विकास की मांग की थी? आज उनके शरीर पर पर्याप्त वस्त्र नहीं हैं। आज भी वह जड़ें खाते हैं, कंदमूल, फल खा करके

अपना जीवन बिताते हैं। कृषि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। खनिज पदार्थ तो हैं छत्तीसगढ़ में लेकिन उन खनिज पदार्थों को दोहन कैसे किया जाए, वह व्यवस्था नहीं है। पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं है।

ऐसी ही दुर्दशा झारखंड की भी है। झारखंड के विकास की दिशा में तो दुर्भाग्यवश किसी ने सोचा भी नहीं था। कुछ शहर हैं जैसे रांची राजधानी है, वह ठीक है मगर रांची तो झारखंड नहीं है, झारखंड की राजधानी तो है, झारखंड नहीं है। ऐसे क्षेत्र हैं जहां विकास के प्रकाश की प्रथम किरण भी नहीं पहुंची। इन समस्याओं को दूर करना है, उनका समाधान खोजना है लेकिन यह साधारण कार्य नहीं है । इसके लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, अभी तक इसका आकलन नहीं हुआ। लेकिन अगर तीनों राज्यों की बात सोची जाए तो साधारण विकास के लिए कई लाख करोड़ रुपयों के लगभग आवश्यकता पड़ जाएगी। यह आकलन होना चाहिये। यह आकलन योजना आयोग के माध्यम से होना चाहिये। उचित तो यह होगा कि भारत सरकार इसका आकलन करने के लिए एक समिति बनाए, एक उच्चस्तरीय समिति गठित हो जो इस पर विचार करे कि अब इन तीन राज्यों का विकास करने के लिए हमें कौन से संसाधन चाहियें, कितने संसाधन चाहियें, कब तक इन संसाधनों की आपूर्ति होगी, कैसे होगी, कौन इनकी आपूर्ति करेगा? इस बात का भी आकलन होना चाहिये कि क्या इन राज्यों के विकास के लिए हमें कहीं विदेशों से सहायता मिल सकती है? यह उदारीकरण का युग है। बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत के विकास कार्यों में पूंजी लगाने के लिए उत्सुक हैं। जो प्राकृतिक संपदा उत्तरांचल में है या झारखंड में है अथवा छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में है, उस प्राकृतिक संपदा का दोहन करने के लिए क्या हम विदेशी कंपनियों को आमंत्रित कर सकते हैं, क्या हम उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं? इस पर विचार होना चाहिए, गंभीरता से विचार होना चाहिए। यह कोई असाधारण बात नहीं है। दुर्भाग्य यह है कि अभी तक इस बारे में संसद में चर्चा नहीं हुई है। यह तो अहलुवालिया जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसके साथ करोड़ों करोड़ जनता का भाग्य जुड़ा हुआ है, उठा दिया। मुझे पता नहीं भारत सरकार की ओर से क्या उत्तर आएगा। क्या यह गोलमोल उत्तर आएगा कि हम देख रहे हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं। हमारी समझ में समस्याएं हैं। लेकिन इस उत्तर से काम चलने वाला नहीं है। यथार्थ के धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान तो तब होगा जब उसके लिए समुचित संसाधन जुटाए जाएं। ये संसाधन शीघ्र से शीघ्र जुटाए जाने चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उपेक्षा या अभाव में आकर एक और नया आंदोलन प्रारंभ हो जाए। गरीबी से बड़ा और कोई शत्रु नहीं होता और एक निर्धन व्यक्ति जब उत्तेजना में आ जाता है जब वह सब कुछ सोच लेता है कि मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं तो सब कुछ दांव पर लगाकर धरातल पर युद्ध करने के लिए सामने आ जाता है अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे देश के जो निर्धन हैं, सर्वाधिक निर्धन, वे आज झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ में हैं। ये वे निर्धन हैं जिनके पास दोनों वक्त पेट भरने के लिए अन्न उपलब्ध नहीं है। एक ओर तो हमारे पास इतना अन्न पड़ा हुआ है सरकारी गोदामों में

कि हम उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, सड़ रहा है। इस देश का हजारों टन गेहूं कीड़े खा गए, चूहे खा गए। क्या ऐसी कोई योजना बनायी जा सकती है गरीबी उन्मूलन के साथ जोड़ कर कि इन क्षेत्रों की जनता को कहा जाए कि हम तुमको काम के बदले अनाज देंगे। इस पर हम क्यों नहीं विचार कर सकते हैं? वे सड़कें बनाएं, ग्रामीण क्षेत्र में अन्य विकास कार्य करें और बदले में पूरा धन न देकर उन्हें थोड़ा धन दिया जाए और थोड़ा गेहूं दिया जाए जिससे कम से कम वह गेहूं या वह चावल जो सड़ रहा है उसका एक सही उपयोग हो। उसका हम ऐसा उपयोग करें कि जिससे इन तीन नये राज्यों का विकास हो सके, वहां की जनता को संतोष मिल सके कि हां विकास संबंधी कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसा कुछ सोचा जाना चाहिए। एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। जब तक यह दृढ़ इच्छा शक्ति इस राष्ट्र के पास नहीं आती तब तक यह विशाल राष्ट्र, यह महान राष्ट्र, अपनी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकेगा। तीन राज्य तो बन गए। यह एक राजनीतिक निर्णय था। राजनीतिक निर्णय बेकार हैं अगर उनके पीछे विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। हम राजनीतिक निर्णय करने में तो बड़े कुशल हैं लेकिन विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने के लिए जो दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए उसका इस राष्ट्र के पास अभाव है। इस अभाव को दूर करना होगा उपसभाध्यक्ष जी। बिना उसके यह राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तो केवल इन तीन नये राज्यों की मैं चर्चा कर रहा हूं लेकिन यह सारे देश की समस्या है। इस देश को इस समस्या का समाधान अगर खोजना है तो हमें आर्थिक मामलों में एक बिल्कुल नयी विचारधारा चाहिए। एक ऐसी विचारधारा चाहिए जहां कि हम जनता को विश्वास में लेकर उसकी भलाई के लिए आगे आ सकें।

मैं आभारी हूं अहलुवालिया जी का कि उन्होंने एक बड़ा उत्तम विषय लिया इस पर राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए। मैं आपका भी आभारी हूं उपसभाध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

प्रो. रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं श्री अहलुवालिया जी का धन्यवाद करता हूं। तीन राज्यों के पुनर्गठन के बाद जो स्थिति बनी है और जिन राज्यों से अलग करके इन्हें नया राज्य बनाया गया है, उनकी आर्थिक स्थिति और विकास के बारे में चर्चा करने के लिए, यह जो संकल्प लाये हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संबंध में देश को पूरी जानकारी मिलनी चाहिए कि पुनर्गठन के बाद इन राज्यों की आवश्यकताएं क्या हैं, इन्हें विकास और प्रगति के मार्ग पर किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है। महोदय, मैं अपना अधिक समय, बिहार राज्य के पुनर्गठन के बाद जो शेष बिहार रह गया है, उस पर देना चाहूंगा । अहलुवालिया साहब ने अपने संकल्प के अंत में जो पैराग्रॉफ़ जोड़ा है उसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उनको हुई राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति के लिए उपयुक्त वित्तीय पैकेज उपलब्ध कराये ।

[उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) पीठासीन हुए]

महोदय, बिहार पुनर्गठन विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर मिला था। जहां मैंने उस दिन यह निवेदन किया था कि बिहार के लिए लगभग एक लाख अस्सी हजार करोड़ रुपये का पैकेज दिया जाए, वहीं मैंने झारखंड राज्य के लिए भी एक लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की थी। पुनर्गठन के बाद जो शेष राज्य रहता है, उसमें से जो टुकड़ा अलग होता है, उसे भी अपने आपको तैयार करने में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, उसके बनाने में केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता पड़ती है और बिना केन्द्र की मदद के वह आगे नहीं बढ़ सकता है। बिहार के 18 जिलों को मिला करके झारखंड राज्य बना है। मगर उसके हिसाब से एक छोटी आबादी ही झारखंड राज्य के साथ है। लगभग 70 प्रतिशत आबादी शेष बिहार में है। उस अनुपात में जो क्षेत्रफल है, उसकी अगर तुलना की जाए तो आबादी के हिसाब से ज्यादा क्षेत्रफल झारखंड में गया है। वैसे कुल मिला कर जो क्षेत्रफल है उसका ज्यादा हिस्सा बिहार में रह गया है, मगर फिर भी आबादी के हिसाब से उसका ज्यादा हिस्सा झारखंड में गया है। साथ ही, जब हम उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, दो बिहार की बात करते थे, जिनके बीच से गंगा नदी निकलती है, तो दोनों का एक बहुत अच्छा संतुलन था। एक ओर उत्तर बिहार संपूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर रहा है, उत्तर बिहार मे कृषि भूमि है, वहीं दक्षिण बिहार मे मिनरल्ज, बड़े-बड़े कल-कारखानें और विद्युत परियोजनाएं हैं। इन सब का लाभ दक्षिणी बिहार को मिला है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि झारखण्ड राज्य की उपेक्षा की गयी है, ऐसी बात नहीं है। महोदय, हमें कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस राज्य को दो टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। मिनरल्स और कच्चा माल दक्षिणी बिहार या झारखण्ड राज्य में उपलब्ध थे, इसीलिए हम ने केन्द्रीय सरकार या दूसरे सूत्रों से प्राप्त मदद को दक्षिणी बिहार में लगाया। महोदय, मैं उत्तरी बिहार के बारे में बताना चाहूंगा कि वहां बाढ़ और जल-जमाव की बहुत बड़ी समस्या है और इस के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बड़ी-बड़ी नदियां कोसी, कमला, गंडक, घाघरा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां नेपाल से आती हैं और कुछ नदियां तिब्बत से भी आती हैं। इनका भी दो-तिहाई जलग्रहण क्षेत्र नेपाल में पड़ता है। महोदय, वह नदियां नेपाल के पर्वतीय क्षेत्रों से आती हैं, इसलिए उन की धारा बहुत तेज होती है और जब वह उत्तरी बिहार की धरती पर आती हैं तो वे अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट लाती हैं, भारी मात्रा में बालू के कण लाती हैं। यह सिल्ट नदियों के तल को भरता रहता है और नदियों के तल को ऊंचा करता है। महोदय, बिहार सरकार ने इन नदियों के दोनों ओर काफी बांध और तटबंध बनाए हैं, मगर यह सिल्ट नदियों के तल को ऊंचा कर देता है। महोदय, मैंने अभी 5-6 नदियों का उल्लेख किया, उसमे से एक बड़ी नदी कमला बलान मेरे गांव से आती है। इसलिए मुझे इस का अनुभव है कि रीवरसाइड में सिल्टिंग इतनी ज्यादा होती है कि कंट्रीसाइड नीचे चला जाता है और रिवर साइड ऊपर हो जाता है। नतीजा यह होता है कि जब नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में वर्षा होती है और पानी बिहार की तरफ आता है तो वह एक बाढ़ का रूप ले लेता है। इस कारण उत्तरी बिहार के अधिकांश जिले हर साल बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं जिन से प्रति वर्ष 850 करोड़ रुपए की फसल व संपत्ति नष्ट हो जाती है। महोदय, प्रति वर्ष बाढ़ आती है। यह परमानेंट

फीचर है। ऐसी बात नहीं है कि वह एक साल आ गयी तो दूसरे या तीसरे साल नहीं आएगी। हर साल निश्चित रूप से बाढ़ आती है।

महोदय, जिस क्षेत्र में इतनी बड़ी बाढ़ हर साल आती हो उस क्षेत्र की सड़कों की क्या स्थिति होगी, यह आप अनुमान लगा सकते हैं। महोदय, उत्तरी बिहार में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। इसका एक कारण यह है कि इस बाढ़ की वजह से जो नई सड़कें बनती हैं, वह भी टूट जाती हैं और उन की मरम्मत के लिए और बाढ़ से प्रभावित लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए करोड़ों रुपए का खर्च हर साल बिहार सरकार को करना पड़ता है। इस बाढ़ से सड़कें बर्बाद हो जाती हैं, रेलवे लाइनें बर्बाद हो जाती हैं। महोदय, कभी-कभी तो हमारे क्षेत्र में 15-15 दिन तक रेलगाड़ियों का आवागमन बंद हो जाता है। इस प्रकार उत्तरी बिहार, जो एक बाढ़ग्रस्त इलाका है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मदद के लिए बिहार सरकार अपने बूते पर बाढ़ का नियंत्रण नहीं कर सकती है और यह इसलिए भी है कि क्योंकि यह दो देशों के बीच का मामला है - नेपाल और हिन्दुस्तान के बीच का मामला है। जो जल संसाधन मंत्री आते हैं, अभी श्री सेठी जी से भी मैंने एक-दो बार निवेदन किया था, नेपाल के प्रधान मंत्री श्री कोइराला जी आए थे, उनसे भी निवेदन करने के लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। अभी बिहार के लगभग 50 एम.पी. प्रधान मंत्री जी से मिलने गए थे और हम लोगों ने उनको एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें तमाम लोगों ने जिस बिन्दु पर जोर दिया है, वह है उत्तरी बिहार में बाढ़ की समस्या का निदान।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर उत्तरी बिहार की बाढ़ की समस्या का निदान हो जाए तो हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिहार के विकास के लिए हमारे पास उपयुक्त कृषि भूमि है, सिर्फ बाढ़ नियंत्रण का सवाल उठता है और उस बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल से हमें समझौता करना पड़ेगा। कई वर्षों से, लगातार, जो भी सरकारें दिल्ली में आती हैं, केन्द्र में आती हैं, उनका कहना है कि उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है। महोदय, हो सकता है कि प्रयास किया जाता हो, नेपाल की कुछ अपनी समस्या हो क्योंकि वह डेम नेपाल में बनेगा। जहां से नदियां चलती हैं, जो जल-ग्रहण क्षेत्र है, वह नेपाल में है इसलिए डेम नेपाल में बनेगा तो नेपाल सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से वहां डेम बनाएगी, वे हमारी कठिनाइयों को समझने से पहले अपनी कठिनाइयों को समझेगी। इस तरह से नेपाल में यदि वे डेम बना देते हैं और उन नदियों पर नियंत्रण हो जाता है तो उत्तरी बिहार का इलाका कृषि उपज के मामले में इतनी तरक्की करेगा कि हमें दूसरों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी, इस परिस्थिति मे भी हमारे यहां गेहूं की अच्छी फसल हुई है, धान की अच्छी फसल हुई है, पर दुर्भाग्य की बात यह है कि उस फसल को लेने वाला कोई नहीं है। एफ.सी.आई. का कहना है कि गोदाम भरा हुआ है और हमारा कहना है कि बिहार का जो धान है, गेहूं है, आप उसको बाहर रखे हुए हैं, उसे आप खरीद नहीं रहे हैं। हमारी क्वालिटी अच्छी है लेकिन जो दूसरे प्रदेश का धान है या गेहूं है, उसे लाकर आपने बिहार के गोदामों में भर दिया है । इस समय बिहार के किसानों की हालत बहुत चिंतनीय है और चिंता की बात यह भी है कि एक तरफ तो

किसानों को उनकी फसल का समुचित मूल्य नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ किसानों को जो सामान खरीदना पड़ता है कृषि उत्पादन के लिए, जो उन्हें डीजल खरीदना पड़ता है, जो उन्हें खाद खरीदनी पड़ती है, बीज खरीदना पड़ता है, उसकी कीमत रोज-ब-रोज बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो रहा है। किसानों पर एक बहुत बड़ा बोझा पड़ गया है और यही कारण है कि किसान बैंक से जो भी कर्ज लेता है, वह उस कर्ज को लौटा नहीं पा रहा है और जब वह कर्ज नहीं लौटा पाता है तो उसकी जमीन नीलाम हो जाती है। इसलिए अब वह बहुत निराश हो गया है और उसके परिवार के बच्चे एक छोटी-सी नौकरी की तलाश में, चाहे वह चपरासी की हो या क्लर्क की हो, गांव से निकल रहे हैं क्योंकि वह मानने लगे हैं कि खेती अब अलाभकारी हो गई है। हमारे यहां पहले कहा जाता था, एक कहावत थी - उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अर्थात खेती को सबसे ऊपर माना जाता था और व्यापार को मध्यम। निखिद चाकरी कहा जाता था यानी नौकरी को लोग अच्छा नहीं मानते थे। हमारे बुजुर्ग खेती को उत्तम मानते थे और वह सम्मान की बात होती थी। किसान को लोग इज्ज़त की नज़र से देखते थे। उस समय गिने-चुने लोग ही नौकरी करते थे और जो लोग बाहर नौकरी करते थे, जब वे घर आते थे तो उनकी इतनी इज्ज़त नहीं होती थी जितनी किसान की होती थी। अब स्थिति उलटी हो गई है। आज चाहे वह चपरासी की ही नौकरी क्यों न हो, बी.ए., एम.ए. पास करने के बाद अगर चपरासी की नौकरी मिल जाती है तो उसमें भी लोग चले जाते हैं। उसके बाद व्यापार की दिशा में भी लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा व्यापार तो हो नहीं सकता, छोटे व्यापारियों की हालत भी अच्छी नहीं है। पहले हमारे गांवों में कुदाली बनती थी। गांव के जो लुहार होते थे, वे कुदाली बनाते थे, खुरपी बनाते थे, हंसुआ बनाते थे और दूसरी तरह के लोहे के औजार बनाते थे। आज जब टाटा कुदाली बनाएंगे तो गांव के लुहार की बनी हुई कुदाली कौन लेगा? इस तरह से गांवों में लुहार की हालत खराब हो गई। इसी तरह से गांवों में लकड़ी का काम करने वालों को ज्यादा पैसा नहीं मिला तो वे शहरों की ओर भाग गए। इस तरह से हमारे जो लुहार भाई हैं, लकड़ी का काम करने वाले लोग हैं, वे गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं। जब किसान भी गांव छोड़कर शहर की ओर भाग जाएगा तो गांवों में श्मशान जैसी स्थिति हो जाएगी, बल्कि हो गई है, सब लोग भाग रहे हैं। गांवों के लोग भी अब अपनी जमीन, अपनी खेती बेचकर भाग रहे हैं। जब इस देश का किसान मर जाएगा तो क्या होगा? हम कहते हैं कि यह किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश में किसान मर जाएंगे तो पता नहीं इस देश का क्या होगा।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार में जो बाढ़ की समस्या है, उस समस्या को खत्म करना चाहिए। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं कि झारखंड के अलग हो जाने के बाद आज बिहार राज्य की क्या स्थिति है। महोदय, वर्ष 1999-2000 में राजस्व प्राप्तियों में वाणिज्यिक कर से संपूर्ण बिहार में 2274 करोड़ रुपए, झारखंड में 910 करोड़ रुपए और शेष बिहार में 1364 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। इसी तरह से निबंधन कर से संपूर्ण बिहार में 339 करोड़ रुपए,

झारखंड में 54 करोड़ रुपए और शेष बिहार में 285 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुईं। महोदय, उत्पाद कर से संपूर्ण बिहार में 283 करोड़ रुपए, झारखंड मे 91 करोड़ रुपए और शेष बिहार में 192 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुईं। इसी तरह परिवहन कर से संपूर्ण बिहार में 203 करोड़ रुपए, झारखंड में 74 करोड़ रुपए और शेष बिहार में 129 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुईं। भू-राजस्व से संपूर्ण बिहार में 15 करोड़ रुपए, झारखंड में 3 करोड़ रुपए और शेष बिहार में 12 करोड़ रुपए की प्राप्तियां हुईं।

महोदय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल राजस्व प्राप्तियॉं 8436 करोड़ रुपए है जिसमें से 3707 करोड़ रुपए का हिस्सा झारखंड का है और 4728 करोड़ रुपए का हिस्सा शेष बिहार का है। जहां तक राजस्व व्यय का सवाल है, गैर योजना व्यय संपूर्ण बिहार में 10784 करोड़ रुपए है, जिसमें से झारखंड मे 3235 करोड़ रुपए और शेष बिहार में 7549 करोड़ रुपए व्यय हुआ है। अब दोनों को मिला दिया जाए तो 472 करोड़ सर्प्लस है झारखंड में अभी जो वित्तीय स्थिति है बंटवारे के बाद। 2821 करोड़ का घाटा, शेष बिहार की बात है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि इस 472 करोड़ से झारखंड की स्थिति सुधर जाएगी या विकास हो जाएगा। मगर महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के बंटवारे के बाद जो शेष बिहार रह गया है उसकी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई है। हर क्षेत्रों में चाहे वह जल प्रबंधन का क्षेत्र हो जिसकी चर्चा मैंने की जिसमें बाढ़ उपाय, सिंचाई सुविधाएं और जो जल प्लावित क्षेत्र हैं जहां जल जमाव है, दस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल जमाव है। नीतीश जी मंत्री हैं, एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र इनके क्षेत्र सकोवा में है जहां जल जमाव की समस्या है। रेलवे के क्षेत्र मे भी वहां विकास की जरूरत है और ध्यान लगाने की वहां जरूरत पड़ेगी।

महोदय, बिहार में मुजफ्फरपुर एक जगह है जहां लीची बहुत मीठी होती है। परन्तु लीची से रस निकालने के लिए, जूस बनाने के लिए कोई कारखाना नहीं है। अगर हम कारखाना खोल करके अच्छा जूस बनाएं तो वह जूस अपने ही देश मे लोकप्रिय नहीं होगा बल्कि विदेशों में भी वह जूस लोकप्रिय होगा। इसको सभी लोग बड़े चाव से पिएंगे और उसका आनंद लेंगे। आम की फसल भी हमारे यहां बहुत अच्छी होती है। बहुत मीठे-मीठे आम होते हैं हमारे यहां। दिल्ली में चौसा, लंगड़ा इन सब आमों का नाम आप सुनते हैं। मगर उत्तरी बिहार में आमों की एक नस्ल है जिसको यहां नहीं जानते होंगे। उसको सफेदा कहते हैं। लंगड़ा आम भी हमारे यहां होता है। वह बड़े मीठे आम होते हैं। आम का जूस निकालने के लिए फैक्टरी की जरूरत पड़ेगी, कारखाना लगाने की जरूरत पड़ेगी मुजफ्फरपुर में। अब हम ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : अच्छा, आप एक मिनट मे खत्म कर दीजिए। नहीं तो नेक्स्ट डे चालू रखना पड़ेगा।

प्रो. रामदेव भंडारी : चलेगा महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : यानी आप नेक्स्ट टाइम भी बोलना चाहते हैं।

प्रो. रामदेव भंडारी : हां, हम नेक्स्ट टाइम भी बोलेंगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : चलिए एक मिनट और बोलिए।

प्रो. रामदेव भंडारी : मैं कह रहा था महोदय, कि आम और लीची के लिए उ. प्र. बिहार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मीठे आम वहां होते हैं, लीचियां भी बहुत मीठी होती हैं। तो उसके लिए वहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की जरूरत है। बड़े उद्योग तो झारखंड मे चले गए इसलिए हमारे यहां छोटे उद्योगों की जरूरत है। एक काम और करना पड़ेगा। सिविल एविएशन मंत्री जी से भी हमने निवेदन किया है कि हम जो कच्चा सामान दूसरी जगह भेजते हैं वह कच्चा माल रास्ते में खराब हो जाता है। अगर हम दिल्ली भी भेजते हैं तो भी खराब हो जाता है। इसीलिए हवाई सुविधा मिलनी चाहिए। कम से कम पटना मे हवाई सुविधा मिले। उसके लिए अभी प्रयास भी चल रहा है। वहां से कारगो की सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए ताकि हम अपने यहां के आम, लीची विदेशों में भेज सकें जिससे कि उत्तरी बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

उपसभाध्यक्ष (श्री संतोष बागड़ोदिया) : अब आप नेक्स्ट टाइम बोलिएगा। टाइम तो हो गया है। आज मंत्रीगण ज्यादा बैठे हैं, इस समय यह बड़ी खुशी की बात है। Now, further discussion on this Resolution will take place on 15th December, 2000, at the time allotted for the Private Members Resolutions.

The House stands adjourned till 11.00 a.m. on Monday, the 4th December, 2000.

The House then adjourned at five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 4th December, 2000.